न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/8609/2006/करौली

1– मदन पुत्र रामसहाय
2– रामसिंह पुत्र रामसहाय
3– भागचंद पुत्र रामसहाय
4– बत्तू पुत्र रामसहाय
समस्त जाति मीणा निवासी कानेटी तह0 टोडाभीम जिला करौली।

------ अपीलांट्स

बनाम

1– सुक्काराम पुत्र किशन लाल जाति मीणा निवासी कानेटी तह0 टोडाभीम जिला करौली।
2– हीरालाल पुत्र किशन लाल,
3– रामखिलाड़ी पुत्र हरफूल,
4– रामजीलाल पुत्र हरफूल,
समस्त जाति मीणा निवासी कानेटी तह0 टोडाभीम जिला करौली।
5– तहसीलदार, टोडाभीम जिला करौली।

------ रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री एन.के. गोयल एवं श्री विकास पाराशर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।

निर्णय **दिनांक :– 22.12.2022**

यह अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अपील संख्या 26/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–11–2006 बउनवानी सुक्काराम बनाम हीरालाल के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विद्वान उपजिला कलक्टर, टोडाभीम के समक्ष एक वाद बाबत् घोषणा खातेदारी, तकासमा एवं हुक्मईम्तनाई दवामी वाद में अंकित वादग्रस्त आराजीयात के बाबत्

पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 7, 2 ता 6 एवं 8 ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा पेश कर वादी का दावा खारिज करने का निवेदन किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दावे व जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में आवश्यक तनकीयात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन कर उपस्थित योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15–07–2003 से दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी का खारिज कर दिया। जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 15–07–2003 से व्यथित होकर विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनकर उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23–01–2006 से अपील अपीलांट खारिज कर दी गई जिस आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–01–2006 के विरूद्ध विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी सुक्काराम की ओर से रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 15–11–2006 से रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील सं0 180/03 स्वीकार की जाकर उप जिला कलक्टर, टोडाभीम की निर्णय व डिक्री दिनांक 23–01–2006 को निरस्त कर दिया गया। इसी आक्षेपित निर्णय दिनांक 15–11–2006 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथ्यों, रिकॉर्ड एवं साक्ष्य के आधार पर त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 15–07–2003 द्वारा वर्तमान प्रतिवादी नं0 1 द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया था और निचली अदालत ने भी अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–01–2006 के तहत उनकी अपील को खारिज कर दी है लेकिन बाद में प्रतिवादी नं0 1 द्वारा दायर समीक्षा आवेदन को अवैध

रूप से स्वीकार कर लिया और उसके द्वारा दायर वाद को उसके पक्ष में डिक्री कर दिया। सी0पी0सी0 के आदेश 47 नियम 8 के तहत निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। कानूनी का सुस्थापित सिद्धांत है कि समीक्षा याचिका का दायरा बहुत सीमित है और समीक्षा याचिका का निर्णय करते समय माननीय न्यायालय समीक्षा के लिये मांगे गए निर्णय पर अपील नहीं कर सकता। न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब धारा 229 राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 के साथ पठित सी0पी0सी0 के आदेश 47 नियम 1 की आवश्कताओं को पूरा किया जाता हो। दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य की गलत व्याख्या की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–11–2006 निरस्त फरमाया जावें।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश 15–11–2006 विधिसम्मत् होने के कारण अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7– विद्वान उप जिला कलक्टर, टोडाभीम ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15–07–2003 से दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी तकासमा एवं हुक्मईम्तनाई दवामी खारिज किया गया है।

8– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15–11–2006 से प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार किया जाकर अपील सं0 180/03 स्वीकार करते हुए उप जिला कलक्टर, टोडाभीम के निर्णय व डिक्री दिनांक 23–01–2006 निरस्त की गई है।

9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल मिलान क्षेत्रफल एक्जी. 1 व 2, नकल भू–प्रबन्ध खतौनी सम्वत् 2043 से 62 एक्जी. 3 व 4, नकल नामान्तरकरण सं0 18 एक्जी.5 व 6, कार्यालय ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा द्वारा वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 30–06–1999 एक्जी–7, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013 से 19 एक्जी–8, नकल जमाबन्दी सम्वत्

2012 से 15 एक्जी.9, नकल जमाबन्दी आधार वर्ष सं0 2052 एक्जी–10 पेश किये हैं तथा जुबानी शहादत में पी.डब्ल्यू.–1 सुक्काराम, पी.डब्ल्यू.–2 गज्जू सिंह, पी.डब्ल्यू–3 छोटे व पी.डब्ल्यू–4 हीरालाल के बयान कराये गये हैं।

10– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि नकल खसरा गिरदावरी ई.एक्स सम्वत् 2013 से 2019 के कॉलम नं0 5 प्रविष्ठियों सहित खातेदार/गैर खातेदार के कॉलम में लाल स्याही से रामसहाय खुदकाश्त, हीरालाल व सुक्का मीना उपकृषक दर्ज हैं तथा कब्जे काश्त के कॉलम में रामसहाय, सुक्का, हीरालाल पि0 किशनलाल हि0 बराबर बदस्तूर दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार के इन्द्राज सम्वत् 2015 से 19 में दर्ज हैं। खसरा गिरदावरी में कॉलम नं0 5 में सम्वत् 2017 में रामसहाय, सुक्का, हीरालाल पि0 किशनलाल हि0 बराबर उप कृषक लाल स्याही से दर्ज है जो बदस्तूर दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2015 एक्जी–9 के अनुसार ग्राम कानेटी के खसरा नंबर किता 13 में कॉलम नं0 4 काश्तकार के कॉलम में रामसहाय वल्द किशनलाल मीना सा0देह तथा योग खुदकाश्त के बाद रामसहाय खुद काश्त हीरालाल व सुक्का मीना उपकृषक दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2052 आधार वर्ष एक्जी–10 के अनुसार रामसहाय पुत्र किशनलाल मीना के स्थान पर प्रतिवादी नं0 2 ता 6 के नाम स्वीकार हुआ है। उपरोक्त विवेचन से एवं खसरा गिरदावरियों के अवलोकन से स्पष्ट हो चुका है कि वादी ने विवादित आराजीयात मद नं0 2 में वर्णित आराजीयात को शामिल में प्रतिवादी नं0 1 व प्रतिवादी नं0 2 ता 5 के पिता तथा प्रतिवादी नं0 6 के पति रामसहाय के साथ में काश्त किया गया है किन्तु वादी का विवादित आराजीयात पर लम्बे समय से कब्जा बदस्तूर चला आना प्रतीत नहीं होता है। मात्र 6–7 वर्षो में ही वादी का विवादित आराजीयात पर शामिल में कब्जा काश्त रहा है और उन्हीं वर्षो में जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरियों में वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 को उप कृषक दर्ज किया गया है। वादी अपने दावे में अपना कब्जा लम्बे समय से विवादित आराजीयात पर साबित करने में असफल रहा है। धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने के लिए वादी को अपना कब्जा सम्वत् 2012 से लगातार साबित करना था लेकिन वादी द्वारा

सम्वत् 2012 का कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया है। ऐसे हालात में वादी धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

11– पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने अपने दावे में ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत भी पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो कि विवादित आराजीयात प्रतिवादी नं0 2 ता 5 के पिता तथा प्रतिवादी नं0 6 के पति रामसहाय पुत्र किशनलाल को विरासत में मृतक किशनलाल से मिली हो। अर्थात वादी के द्वारा उक्त विवादित आराजीयात मुतजिका मद नं0 2 वादपत्र की जमाबन्दी किशनलाल के नाम की पेश नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट हो सकें कि विवादित आराजीयात कभी भी वादी एंव प्रतिवादी नं0 1 तथा प्रतिवादी नं0 2 ता 5 के पिता तथा प्रतिवादी नं0 6 के पति रामसहाय के पिता किशनलाल की खातेदारी में रही हो और यह भूमि मृतक राहमसहाय को किशनलाल का सबसे बड़ा लड़का व कर्ता खानदान होने के कारण उसको विरासत में मिली हो। वादी के द्वारा जो नकल खसरा गिरदावरी एवं जमाबन्दी पेश की गई है उनसे यही स्पष्ट होता है कि विवादित आराजीयात मृतक रामसहाय पुत्र किशनलाल मीना की खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजीयात है और उनकी स्वअर्जित सम्पति होना प्रतीत होती है जिसके समर्थन में प्रतिवादी ने ग्राम असरों में वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के नाम की जमाबन्दी की नकलें सम्वत् 2035 से 38 एवं 2055 से 58 एक्जी–डी–8 व 9 पेश की है जिनके अनुसार उनकी खातेदारी मात्र वादी सुक्का एवं हीरालाल प्रतिवादी नं. 1 के नाम प्रतिवादी नं0 2 ता 5 के पिता तथा प्रतिवादी नं0 6 के पति रामसहाय के नाम की नहीं है। मात्र रजिस्टर्ड विक्रयपत्र हीरालाल से उसके हिस्से की जमीन को रामसहाय के वारिसान प्रतिवादी नं0 2 ता 5 के द्वारा क्रय किया गया है जिसका नोट जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 58 में अंकित है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी के हिस्से की आराजी ग्राम असरों में है तथा प्रतिवादी नं0 2 ता 5 के पिता व पति रामसहाय मृतक की जमीन ग्राम कानेटी में है। वादी का विवादित आराजीयात मुतजिका मद नं0 2 वाद पत्र में कोई भी हिस्सा किसी प्रकार का प्रतीत नहीं होता है और ना ही उक्त भूमि में वादी अपना हिस्सा सिद्ध कराने में सफल हुआ

है। ऐसे हालात में जब वादी उक्त विवादित आराजीयात मुतजिका मद नं0 2 वादपत्र में वर्णित भूमि में अपना हिस्सा/खातेदारी अधिकार ही प्राप्त नहीं कर पाया है तो वह ऐसे हालात में वादी अपने 1/3 हिस्से के रूप में नवीन खसरा नं0 39, 138, 46, 48, 63, 66 रकबा 1–66 है0 की तकासमा की अंतिम डिक्री अपने हक में करा पाने का अधिकारी नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी आराजीयात का खातेदार ही नहीं है तो वह उस आराजीयात का तकासमा कैसे करा सकता है। तकासमा कराने के लिए सह खातेदारान होना जरूरी है।

12– प्रतिवादीगण ने नकल नामान्तरकरण सं0 24 एक्जी–डी–3 पेश की है जिससे स्पष्ट है कि खसरा नंबर 37, 38, 40, 49, 62, 108 कुल रकबा 1–65 है0 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 23–9–1999 को पंजीबद्ध किया गया, के द्वारा प्रतिवादी नं0 1 हीरालाल पुत्र किशनलाल जाति मीना सा0देह खातेदार के नाम स्वीकार हुआ है अर्थात विवादित आराजीयात के 1/3 हिस्से के बराबर भूमि को भाई बंट के आधार पर हीरालाल के हक में नहीं कराई है बल्कि विक्रयपत्र के अर्थात बेचकर के और रूपया (विक्रय धन) प्राप्त करके ही हीरालाल प्रतिवादी नं0 1 के हक में कराई है जिसको प्रतिवादी नं0 2 ता 6 किसी अन्य दीगर व्यक्ति को भी विक्रय कर सकते थे। उन्हें उक्त भूमि को बेचने का पूर्ण अधिकार था जिसका वादपत्र पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है, अर्थात वादपत्र पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिवादी नं0 2 ता 6 व 8 के द्वारा जो जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 58 ग्राम असरों एक्जी–9 पेश की गई है उसके मुताबिक खसरा नं0 35 ल0 40, 42 से 46 एवं 58 कुल किता 12 कुल रकबा 3–77 है0 की खातेदारी हीरालाल व सुक्का पि0 किशनलाल जाति मीना सा0देह कानेटी खातेदार दर्ज रिकार्ड है किन्तु इस पर एक लाल स्याही से नोट अंकित किया हुआ है जिसके अनुसार नोट– नामान्तरकरण सं0 54 दिनांक 6–12–1999 विक्रय द्वारा खसरा नं0 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45 व 46 कुल किता 8 कुल रकबा 3–66 है0 की खातेदारी हीरालाल पुत्र किशनलाल हि0 1/2 के बजाय मदन रायसिंह, भागचन्द बत्तू पि0 रामसहाय हि0 1/2 जाति मीना सा0 कानेटी के नाम स्वीकार हुई। शेष 1/2 बदस्तूर रहा, दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि उसी

दौरान प्रतिवादी नं0 2 ता 5 के द्वारा भी हीरालाल से हीरालाल की खातेदारी की भूमि ग्राम असरों को क्रय किया गया था जो जमाबन्दी पर अंकित नोट से स्पष्ट है। प्रत्येक सह खातेदार को अपने हिस्से की भूमि को बेचने, रहन रखने के अधिकार प्राप्त होते हैं जिनका उन्होंने प्रयोग किया है जिसमें वे किसी भी प्रकार से डिफाल्टर प्रतीत नहीं होते हैं। कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी की भूमि में से कितने ही रकबे को विक्रय कर सकता है। ऐसे हालात में प्रतिवादी नं0 2 ता 6 ने विवादित भूमि मुतजिक्रा मद नं0 2 वादपत्र के 1/3 भाग के बराबर की भूमि नवीन खसरा नं0 37, 38, 40, 49, 62, 108 रकबा 1-65 है0 की खातेदारी प्रतिवादी नं0 1 के हक में करा दी है जो सही है।

13- उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए दावा सिद्ध नहीं कर पाया है। कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का राजस्थान काश्तकारी कानूनी, 1955 में कोई प्रावधान नहीं है।

जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा दावा सिद्ध नहीं करने के कारण विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दावा विधिसम्मत रूप से खारिज किया गया है।

14- विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23-01-2006 में विस्तृत विवेचन करते हुए अपील खारिज कर उप जिला कलक्टर टोड़ाभीम का आदेश दिनांक 15-07-2003 यथावत रखा है।

15- विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 23-01-2006 के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश होने पर विद्वान अपीलीय नयायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15-11-2006 से रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व निर्णय दिनांक 23-01-2006 खारिज कर अपीलांट/वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया है।

16- विद्वान अपीलीय नयायालय ने अपने रिव्यू प्रार्थना पत्र के निर्णय में अंकित किया है कि -

(1) उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का विवेचन नहीं हो पाया है तथा प्रतिवादी सं0 1 व 7 द्वारा जो जवाब दावा प्रस्तुत किया है

उसका भी विवेचन नहीं हो पाया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय का उपरोक्त कथन पूर्णतया गलत है। विद्वान उप जिला कलक्टर, टोड़ाभीम ने अपने निर्णय दिनांक 15–07–2003 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वादी ने जिन गवाहों के बयान कराये हैं, उन्होंने भी ऐसी बात नहीं बताई है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विवादित आराजीयात पर वादी का लगातार कब्जा होना साबित होता हो। विद्वान उप जिला कलक्टर ने प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है।

(2) विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का अपने हिस्से की आराजी पर स्पष्ट रूप से प्रतिकूल कब्जा रहा है और इस प्रकार से जो नजीर आर0आर0डी0 1991 पेज 1 पेश की गई है, उसके आधार पर वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। विद्वान अपीलीय न्यायालय का उक्त कथन भी विधि के पूर्णतया प्रतिकूल है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में प्रतिकूल कब्जे (कब्जा मुखालफाना) के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। न्याय दृष्टान्त 1991 आर0आर0डी0 पेज 1 को तो मण्डल की वृहद पीठ ने अपने निर्णय 2011 आर0आर0टी0 पेज 508 से प्रभावहीन कर दिया है।

(3) रिव्यू का स्कोप बहुत सीमित होता है। रिव्यू के माध्यम से तो कोई एरर अपीयरेन्ट ऑन दा फैस ऑफ रिकार्ड हो तो ही निर्णय परिवर्तित किया जा सकता है।

विचाराधीन प्रकरण में तो ऐसी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। 17– विद्वान अपीलीय न्यायालय का रिव्यू प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 15–11–2006 किस कदर गलत है कि इस तथ्य की पुष्टि ऐसे होती है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व निर्णय दिनांक 23–01–2006 निरस्त कर अपील को पुनः सुनवाई हेतु नंबर पर ही नहीं लिया है तथा अपने निर्णय के पैरा नं0 12 में अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार किया जाता है तथा अपील सं0 180/03 स्वीकार की जाकर उप जिला कलक्टर, टोड़ाभीम का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–01–2006 निरस्त किये जाते हैं जबकि निर्णय दिनांक 23–01–2006 तो विद्वान अपीलीय न्यायालय

के पूर्व निर्णय की तारीख है। उप जिला कलक्टर टोड़ाभीम का तो निर्णय दिनांक 15–07–2003 है।

18– जिससे स्पष्ट है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र में दिया गया निर्णय पूर्णतया विधि के प्रतिकूल होकर काबिल खारिजी है।

19– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15–11–2006 अपास्त किया जाता है तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय का पूर्व निर्णय दिनांक 23–01–2006 तथा विद्वान उप जिला कलक्टर, टोड़ाभीम का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–07–2003 यथावत रखा जाता है।

20– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) **(रामनिवास जाट)**

सदस्य **सदस्य**